

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

क्र. सं.

अंतर्गत च्या-136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम-1922
 स्वीकार किया जाता है। हाल 2451 नम्बर 624 व 291
 वाले ग्राम जवाहर के मध्य राजस्व नम्बों में सीमा का गलत
 अंकन जो सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया है उसे हटाने/दुरुस्त
 करने गुरुवार के सर्वेक्षण से पूर्व राजस्व नम्बों के अनुसार
 हाल नम्बों में दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। अहम
 अंकन वह सीमा लकीरों को मिटा कर पुराने नम्बरों से
 समझकर अदालत में दाखिल दफ्तार की जाए।

क्रिया आज दिनांक 31-03-2019 को भेरे गए अधिसूचना
 जाकर सुले अंकन कर के सुनाया गया। 30/3/19

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)